न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 121/2019
(जी.सीएमएस संख्या 2019/00227)

निर्णय दिनांक 20.6.2021

सहीराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

—बनाम—

1. भागीरथ प्रसाद पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए एवं सपंठित धारा 131,136 एल.आर.एक्ट

यह वाद सहीराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर रोही बाना में स्थित है। वादगत खेतो में से आपसी विभाजन में वादी के खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 1.0600 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 0.7058 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.5400 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 1.9342 हैक्टेयर हिस्से पाती में आये हुए है उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मौके पर कब्जा काश्त लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में में वादगत खेत मौके कब्जे के विपरीत वादी के खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी के खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर राजस्व में दर्ज है जो मौके पर कायम सीमाओ एवं कब्जे काश्त के बिल्कुल विपरीत है जिनको मोके कब्जे काश्त के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाने का अधिकारी है। वादी वादी ने दिनांक 05.09.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको वादी ने प्रतिवादी से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। जिसको मौके कब्जे के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। वादी की भूमि रोही बाना में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्री[illegible] के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा स्वीकार[illegible] फरमानें का निवेदन किया गया है:—

(क) कि खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 है[illegible]र, खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर रोही बाना को वादी के खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 1.0600 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 0.7058 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.5400 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 1.9342 हैक्टेयर घोषित की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे कि रोही थाना के वाकियात खेत वादी के खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 1.0600 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 0.7058 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.5400 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 1.9342 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में कोई आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है

आदेश

वादी के खेत खसरा नम्बर 856/485 तादादी 1.2600 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 1.0600 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.6400 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 0.7058 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 917/857 तादादी 0.5058 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1078/520 तादादी 2.5400 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 1.9342 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड शुद्धिकरण करनें का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें । डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.6.21 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:12:22 IST
Reason: SelfAttested